27

§श्री§

श्री पारस गौरव अभिभावक द्वारा प्रस्तुत
18-2-13
05

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर म0प्र0

R-1033-I/13 प्र0क्र0

§1§ बानोबाई विधवा शब्बीरशाह मुसल0

§2§ मोहम्मद सिद्धिक पिता शब्बीरशाह मुसल0

§3§ शमीम बानो पुत्री शब्बीरशाह मुसल0

सभी वारिसान मृतक शब्बीरशाह पिता चाँदशाह

मुसलमान निवासी सिगोली

क्रमांक 806 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 20/2/13 को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

§4§ जाफरहूसेन पिता चाँदशाह मुसलमान

§5§ हलीमा बेवा जमील मुसलमान

§6§ आशिक पिता जमील मुसलमान

§7§ मदिना पुत्री जमील मुसलमान निवासियान

सिगोली जिला नीमच ---------------- प्रार्थी गण

विरूद्ध

§1§ जुबेदाबानो पति मो0 रशीद मुसलमान

§2§ नूरबानो बेवा कमरूद्दीन मुसलमान

§3§ जाकिर हुसैन पिता कमरूद्दीन मुसलमान

§4§ साजिद पिता कमरूद्दीन मुसलमान

§5§ शाकिर हुसैन पिता कमरूद्दीन मुसलमान

§6§ रजिया पिता कमरूद्दीन मुसलमान

§7§ अमजद पिता सुबराती मुसलमान

§8§ नासिर पिता सुबराती निवासीयान

सिगोली जिला नीमच म0प्र0 ----------- विपक्षी गण

द्वितिय निगरानी :- राजस्व अन्तर्गत धारा 5 0 म0प्र0भू0रा0 संहिता

महोदय,

सेवामें निगरानी कर्ता गण की ओर से निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत है -

§1§ यह कि निगरानी कर्ता गण क्रमांक 1 के पति एवं 2 व 3 के पिता शब्बीरशाह व अन्य निगरानी कर्ता गण एवं विपक्षी गण 2 से 8 के सयुक्त स्वामित्व एवं सयुक्त आधिपत्य की कृषि भुमिया सर्वे क्र0 1940/1, 1940/3, 1940/5, 1940/6, 1941/1, 1945/1, 1946/4 1941/2, 1945/2, 1946/2, 1944, 1946/3 कुल रकबा 1.900 हे0 होकर स्थल पर सयुक्त स्वामित्व एवं सयुक्त आधिपत्य में है जिसका कोई बटवारा राजस्व कागजात या स्थल पर आज तक नही किया गया है व बिना विधिवत बटवारा कराये एवं स्थल पर व राजस्व नक्शे में सीमाओं का व सर्वे नम्बरान का बट्टे नम्बर हूए व नक्शा तरमीम किये बिना किसी भी व्यक्ति को विशिष्ट सर्वे नम्बरान की भुमिको किसी भी प्रकार से अन्तरण करने का अधिकार नही है यह जानते हूए विपक्षी क्रमांक 2 से 8 द्वारा दिनांक 20/3/08 को अस्पष्ट विक्रय विलेख जिसमें बिना जज महोदय की अनुमति के शाजिद, शाकिर, रजिया जो अवयस्क है के नाम की भुमि का भी साथ साथ बिना जिला जज महोदय की अनुमति के विक्रय कर दिया गया व जो चतुर सीमा बताकर भुमि का विक्रय करना उल्लेखित किया गया वैसी कोई पृथक भुमि स्थल पर नही है फिर भी विधि विरूद्ध रूप से विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया गया जो प्रथम दृष्टया ही व प्रारम्भ से ही अवैध व व्यर्थ है और

निरन्तर ------ 3 पर

वानोबाई / जुबेदा वगैरा

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

27

21

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 1033/I/13 जिला - नीमच

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर नीमच के प्रकरण क्रमांक 05/अ6/11-12 में पारित आदेश दिनांक 30/10/12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.10.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	